

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

सिविल मूल अधिकार क्षेत्र

रिट याचिका (सिविल) 2002 की संख्या 512

याचिका : "नदियों का अतंर्योजन'

साथ

रिट याचिका (सिविल) 2002 की संख्या 668

निर्णय

स्वतंत्र कुमार, जे.

1. लगभग दस वर्ष पहले, 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 668 में, एक पेशेवर वकील ने कुछ अध्ययनों के आधार पर याचिका दायर की, कि जल को संरक्षित करने की आवश्यकता है और उपलब्ध संसाधनों को उचित प्रकार से उपयोग करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दायर की गई है:

“(क) देश की सभी नदियों को राष्ट्रीयकृत करने के लिए उपयुक्त कदम/कार्यवाही करने के लिए प्रतिवादी नं. 1 को एक उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश, विशेष रूप से रिट परमादेश प्रकृति का हो, जारी करें।

(ख) विशेष रूप से परमादेश प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश गंगा, कावेरी, वैगई और तांबरवानी नदियां जो दक्षिणी प्रायद्वीप की नदियां हैं उनके अतंर्योजन के लिए उचित कदम उठाने/ कार्यवाही करने के लिए प्रतिवादी नं. 1 को निर्देश जारी करें।

(ग) एक उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करना जो परमादेश प्रकृति का हो व वह प्रतिवादी को निर्देशित करें, ऐसी योजना तैयार करने के लिए जिससे पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के जल को व्यवस्थित और समान रूप से वितरित किया जा सके।”

2. देश में जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीयकृत करने के द्वारा और गंगा से कावेरी, वैगई - तांबरवानी से लेकर केप कुमारी तक नदियों के अंतर्योजन के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त दिशा निर्देशों के लिए प्रार्थना की गई थी। उनके अनुसार, 1834 की शुरुआत में, गोदावरी और कृष्णा बांधों का निर्माण करने वाले सर आर्थर कॉटन ने गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने के लिए 'आर्थर कॉटन स्कीम' नामक एक योजना का सुझाव दिया था। सन् 1930 में, सर सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने भी ऐसी ही एक योजना का सुझाव दिया था और समर्थन किया था। इसके बाद, देश के विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने इसके कारण का समर्थन किया, लेकिन इस तरह की कोई योजना वास्तव में लागू नहीं की गई। यह याचिकाकर्ता का केस है कि अंतःराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 (संक्षिप्त 'अधिनियम' के लिए) और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 की धारा 262 के तहत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था जो भारत के संविधान 1950 (इसके बाद संविधान में उल्लिखित) के सातवें अनुसूची की सूची- I की प्रविष्टि 56 के साथ पढा गया। जल-समृद्ध राज्यों की अनिच्छा के कारण, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (यहां पर 'एन.डब्ल्यू.डी.ए.' उल्लेखित किया गया है) को विस्तृत सर्वेक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई और यह तर्क दिया गया कि केवल भारत सरकार द्वारा नदियों के राष्ट्रीयकरण करने के द्वारा ही इस समस्या का कुछ हद तक समाधान किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने एक रिट मद्रास में 1983 की रिट याचिका संख्या 6207, विभिन्न राहों के लिए प्रार्थना करते हुए न्यायिक उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की थी। इस रिट याचिका को बिना किसी प्रभावी आदेश को दिए बिना उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया गया। अपने प्रयासों पर कायम रहते हुए, याचिकाकर्ता ने इस अदालत के समक्ष पहले याचिका दायर की थी, रिट याचिका (सी) 1998 की संख्या 75 और रिट याचिका (सी) 1999 की संख्या 15 द्वारा, जिसमें उन्होंने परस्पर राष्ट्रीय नेविगेशन और देश की सभी नदियों के अंतर्योजन के लिए प्रार्थना की थी।

3. रिकार्ड को सीधे तौर पर स्पष्ट करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि 29 सितंबर, 1994 में इस न्यायालय की एक पीठ ने सूओ मॉटू नोटिस लिया जो 18 जुलाई, 1994 के हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में "एण्ड क्वाइट फ्लोज द मैली यमुना" शीर्षक नाम से प्रकाशित हुआ। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली नगर निगम, भारत सरकार के सिंचाई और बाढ़ विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और दिल्ली प्रशासन को सूचना जारी की गई थी। तब से, आज तक इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका की लगातार निगरानी की जा रही है। इस रिट याचिका की लंबित अवधि के दौरान, आई.ए. संख्या 27 को दर्ज किया गया, जिसमें उस केस में विद्वान एमिकस क्युरी ने डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को स्वतंत्रता दिवस पर भेजा था, उस समय डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। यह परस्पर जुड़ाव, भारत के एक भाग में बाढ़ की स्थिति और दूसरे भाग में सूखे की विरोधाभासी स्थिति से निपटने के लक्ष्य से 4 देशों में विभिन्न नदियों के बीच एक नेटवर्क बनाने से संबंधित था। दूसरे शब्दों में, यह नदियों को परस्पर जोड़ने (अंतर्योजन) और अन्य जल प्रबंधन उपायों को करने से संबंधित था। 16 सितंबर, 2002 को, इस न्यायालय ने आई.ए. पर विचार करते हुए निर्देश दिया कि आवेदन को स्वतंत्र रिट याचिका के रूप में माना जाए और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ-साथ भारत के अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया और निम्नलिखित आदेश को पारित किया:

“वर्तमान आवेदन, स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति के भाषण के आधार पर नदियों के अंतर्योजन की आवश्यकता से संबंधित है क्योंकि विरोधाभासी रूप से देश के एक हिस्से में बाढ़ की घटना होना व उसी समय दूसरे अन्य हिस्सों में सूखे की घटना घटने के संदर्भ में दायर किया गया है। इसे स्वतंत्र सार्वजनिक रूचि मुकदमे के रूप में मानना उपयुक्त होगा, इस शीर्षक के साथ - “ याचिका: नदियों का अंतर्योजन - बनाम -”। एक सप्ताह के अंदर संशोधित

कारण शीर्षक दायर किया जा सकता है। जारी किया नोटिस 30 सितम्बर, 2002 तक प्रतिवादियों और अटॉर्नी जनरल को लौटाना है। संबंधित राज्यों की स्थायी समितियों को नोटिस देना है। दस्ती सेवा के लिए अतिरिक्त रूप से अनुमति है।

4. इस तरह से आई.ए. 1994 रिट याचिका 27 (सिविल) संख्या 725 को 2002 रिट याचिका (सिविल) संख्या 512 में परिवर्तित किया गया था। 2002 रिट याचिका (सिविल) संख्या 512 को सुनवाई के लिए लिया गया और नदियों के नेटवर्किंग के मुद्दे पर उनके दृष्टिकोण के बारे में शपथ पत्र आमंत्रित करने के संदर्भ में सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया।

5. उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, 2002 में रिट याचिका (सिविल) सं 668 में याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (सी) 1998 के साथ-साथ रिट याचिका (सी) 1999 में वापस ले ली, जिसकी अनुमति इस न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली गई।

6. उस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने दृढ़ता से सिद्ध किया है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से को कवर करने वाली नदियों के अंत संबंधन के लिए कोई प्रार्थना का दावा नहीं किया गया था और उनका यह भी तर्क है कि दक्षिणी भाग बेहद सूखा प्रवण क्षेत्र रहा है और जो कि अंतः राज्तीय जल विवादों का साक्षी रहा है।

इस तरह, उन्होंने 2002 रिट याचिका (सिविल) संख्या 668 दायर की और जिसमें की गई प्रार्थनाएं अनुमति प्रदान करने के योग्य थीं।

7. वर्तमान मामले में, हम 2002 रिट याचिका (सी) संख्या 668, रिट याचिका (सी) 2002 की संख्या 512 और साथ ही आई.ए. और इन दोनों याचिकाओं में दर्ज अवमानना याचिकाओं से संबंधित हैं। तदनुसार, यह आदेश इन सभी मामलों का निपटान करेगा लेकिन इसे हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में, हम रिट याचिका (सी) 1994 की संख्या 725 के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

8. इन याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं और मध्यस्थों द्वारा यह दृढ़ता से सिद्ध किया गया है कि जल संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता और इसके सर्वोत्तम खपत के आश्वासन को इसके संबंध में उठाए गए कदमों द्वारा देखा जा सकता है, केवल विकसित देशों में ही नहीं, बल्कि विकासशील व विकसित होते हुए देशों में भी देखा जा सकता है। भारत सरकार ने हमेशा देश में जल संसाधनों के प्रबंधन के बारे में काफी चिंता व्यक्त की है और इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय जल नीति वार्षिक आधार पर अद्यतन की जा रही है। राष्ट्रीय जल नीति उन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने का प्रयास करती है जो कि पानी की कमी का सामना करते हैं। मामले के इस पहलू से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है, यदि देश की विभिन्न नदियों को परस्पर जोड़ा जाए और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। यह काफी समय से सार्वजनिक बहस और चर्चा का मामला रहा है और अभी भी जारी है, किसी वास्तविक जमीनी हकीकत को प्रदर्शित किए बिना।

9. सिंचाई मंत्रालय ने केंद्रीय जल आयोग के साथ, देश में जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए सन् 1980 में राष्ट्रीय परिपेक्ष्य योजना तैयार की थी, जिसमें कम पानी वाले क्षेत्रों को अधिक पानी वाले क्षेत्रों से अंतः नदी बेसिन हस्तांतरण के द्वारा पानी देने की परिकल्पना की गई थी। जो पानी अधिक था उसे नदियों से हटा कर कम पानी वाले क्षेत्रों में देने के अलावा नदियों के अंतर्योजन की योजना अपने विकास के अंतिम चरण में है जो कि बाढ़ को नियंत्रित करने में समर्थ होगी। इसमें दो घटक शामिल थे: प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदियों का

विकास। पहले हम मुख्य नदियों के अंतर्गोचन की प्रणाली में शामिल थे और उसके बाद भारत, भूटान और नेपाल में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों पर भंडारण जलाशय के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। गंगा और महानदी नदियों के साथ मुख्य ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त पानी को पश्चिम में प्रवाहित करने में सहायता देने के लिए था। यह योजना चार प्रमुख भागों में विभाजित की गई है:

(i) -

ii) महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदियों का अंतर्गोचन करना और इन घाटियों में संभावित स्थलों पर भंडारण का निर्माण करना।

iii) बंबई के उत्तर और तापी के दक्षिण की ओर बहने वाली पश्चिम नदियों का अंतर्गोचन करना।

iv) केन और चंबल नदियों को परस्पर जोड़ना (अंतर्गोचन करना) ।

v) केरल से अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को पथांतरित करना।

10. याचिकाकर्ताओं ने बहुत से सुझाव भी दिए हैं, जिनकी सक्षम अधिकारियों द्वारा सराहना की गई है व उन्हें विचाराधीन किया गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि राष्ट्र को उपलब्ध कराए जाने वाले संभावित लाभों की तुलना में लागत नगण्य है। याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 262 पर भरोसा रखते हैं, जिसको कि संख्या 17, लिस्ट II और संख्या 56 की सातवीं अनुसूची की सूची, अपनी प्रस्तुति को सिद्ध करने के लिए पढ़ी गई थी। अंत में, याचिकाकर्ता यह कहते हैं कि जल संसाधनों का संरक्षण जीवन और आजीविका के अधिकार का एक हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में पाया गया है और केंद्र सरकार को नदियों के राष्ट्रीयकरण के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, ताकि आबादी के उन्नयन के लिए पानी के वितरण को सुनिश्चित किया जा सके। उनके अनुसार, केंद्र सरकार को भी सभी आवश्यक उपाय, वैज्ञानिक और स्वाभाविक, दोनों रूप से, अपनाया जाना चाहिए, योग्य जल संसाधनों को बढ़ाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए जो संसाधन भारत संघ ने प्राकृतिक रूप से पहले ही उपहार में दिए हैं।

11. जिसके परिणामस्वरूप और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से निष्क्रियता की वजह से यह प्रस्तुत किया गया है कि राहत का अनुदान देने के लिए, जिसकी कि प्रार्थना रिट याचिका में की गई है, वह संवैधानिक भावना के अनुरूप व सार्वजनिक हित के लिए होगा।

12. विद्वान एमिकस क्युरी, जो इस न्यायालय के अनुरोध को आगे बढ़ाने में कई सालों से इस सार्वजनिक कारण की ओर अग्रसर थे, उन्होंने इन याचिकाओं की पृष्ठभूमि और कार्यवाही के सारांश के संबंध में एक विस्तृत व्याख्या भी प्रस्तुत की है।

13. विद्वान एमिकस क्युरी के अनुसार, 14 अगस्त सन् 2002 को डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम जो कि उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, - मैंने देखा है कि समय की मांग जल मिशन का निर्माण करने की है, जिसके लिए हमें नदियों को परस्पर जोड़ने (अंतर्गोचन) के प्रश्न की ओर देखना होगा ताकि हम इस विरोधाभासी स्थिति, कि देश के एक भाग में बाढ़ की स्थिति और दूसरे भाग में सूखे की स्थिति से निपट सकें। इसके आधार पर और जैसा कि ऊपर कहा गया है, 16 सितम्बर, 2002 को राज्यों और भारत के अटार्नी जनरल को एक नोटिस उत्तरदाता के रूप में जारी किया गया। उक्त नोटिस के जवाब में

तमिलनाडु राज्य को छोड़कर किसी भी राज्य या संघ शासित प्रदेशों ने इसके समर्थन/विपक्ष में कोई शपथ-पत्र दाखिल नहीं किया जो प्रार्थनाएं रिट में की गई थीं। शपथ-पत्र दाखिल करने के समय को फिर से 30 सितम्बर, 2002 तक के लिए बढ़ाया गया परन्तु उस समय तक कोई और शपथ-पत्र प्राप्त नहीं किया गया।

14. भारतीय संघ की तरफ से भारत के उस समय के विद्वान अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि सरकार ने नदियों के अंतर्योजन की अवधारणा को स्वीकार कर लिया है और एक उच्च पदस्थ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसलिए, इस न्यायालय के, 31 अक्टूबर, 2002 के आदेश के अनुसार, सभी राज्यों में नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के साथ आगे बढ़ने के लिए सिद्धांत रूप से आम सहमति है, यह दर्ज किया गया था।

15. 30 अगस्त 2004 के आदेश के अनुसार, इस अदालत ने यह पाया कि, यद्यपि सरकार में बदलाव होने के बावजूद, सरकार के तत्कालीन सॉलिसिटर जनरल ने, इस न्यायालय को सूचित किया कि नदियों के अंतर्योजन को जारी रखने के लिए सिद्धांत रूप से निर्णय लिया गया है।

16. एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की स्थापना की गई। हालांकि, 5 मई, 2003 के आदेश के अनुसार, इस अदालत ने देखा कि अन्य विशेषज्ञों के कई क्षेत्रों में इनपुट आवश्यक थे और टास्क फोर्स को ऐसी निविष्टियों के लिए उचित विचार देना था। व्यवहार्यता रिपोर्ट (यहां 'एफआर' उल्लेखित किया गया है) प्रस्तावित लिंकों के लिए तैयार की गई। इसके बाद, 8 अप्रैल, 2005 को अपने आदेश के अनुसार, यह न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों को इन मामलों में अनुपालन किया जाना चाहिए। सभी लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी होने के बाद वेबसाइट पर डाल दी जानी थी। इस कोर्ट ने भी टिप्पणियां की हैं कि किसी भी राज्य सरकार को न्यायालय की पूर्व सहमति वेबसाइट पर व्यवहार्यता रिपोर्ट को रखने के लिए आवश्यक नहीं थी और उन्हें ऐसा करने के लिए निर्देशित किया था। महान अनुनय और प्रयासों के साथ, वेबसाइट पर 16 लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट को अपलोड किया गया। एमिकस के अनुरोध पर, वेबसाइट को परस्पर संवादात्मक बनाने का आदेश दिया गया था ताकि लोग अपनी प्रतिक्रिया उसके अधीन प्रस्तुत कर सकें।

17. भारत सरकार की ओर से दायर की गई स्थिति रिपोर्ट से यह भी प्रकट होता है कि पर्यावरणविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों की एक समिति पूरी परियोजना के गठन और निष्पादन की सलाहकार प्रक्रिया में शामिल होने के लिए गठित की जाएगी।

18. समय-समय पर दायर की गई स्थिति रिपोर्टों पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया है।

19. अब, हम विभिन्न राज्यों की प्रतिक्रिया से निपट सकते हैं, क्योंकि उनके रिकार्ड हमारे समक्ष मौजूद हैं। दस राज्यों की तरफ से प्रतिक्रिया शपथ-पत्र को दायर किया गया है। हालांकि, शेष राज्यों ने ऐसा करने के दोबारा दिए गए अवसरों के बावजूद जवाब नहीं दिया है। जबकि राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु के राज्यों ने नदियों के अंतर्योजन की अवधारणा का समर्थन किया है, मध्य प्रदेश राज्य ने कहा था कि नदियों का नेटवर्क केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ रहा है और केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कर्नाटक, बिहार, पंजाब, असम और सिक्किम राज्यों ने सैद्धान्तिक रूप में अपनी मंजूरी दे दी है, लेकिन निश्चित आरक्षण के साथ, अर्थात्, एक योग्य सहमति के रूप में, यह तर्क देते हुए कि पर्यावरणीय और वित्तीय निहितार्थ, सामाजिक-आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं, जैसे अंतः घाटी जल हस्तांतरण, में सरकार को उचित स्तर से ठीक से जांच कर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, बिहार में सभी नदियों नेपाल से उदगम होती हैं और पड़ोसी देशों की सहमति लेना आवश्यक या

वांछनीय हो सकता है, यह ऐसा मामला है जिसमें केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी के विचार की आवश्यकता होगी। पंजाब राज्य के मुताबिक, नदियों के अंतर्गोचन को केवल उन राज्यों में शुरू करना चाहिए जहां भरपूर पानी है और उसे उन राज्यों को देना चाहिए जो कि पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। असम राज्य जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए विशेष रूप से चिंतित था और केरल राज्य ने पूरी तरह से लंबी दूरी, अंतःघाटी, जल हस्तांतरण पर आपत्ति उठाई थी।

20. भारत के संघ ने 25 अक्टूबर, 2002, 5 मई, 2003 और 24 दिसंबर, 2003 को तीन अलग-अलग शपथ-पत्र दायर किए। इन शपथ-पत्रों से, 1972 की राव समिति की रिपोर्ट के बाद भी भारत संघ का बेहद गंभीर रूख इस विचार के लिए प्रतीत होता है कि नदियों के नेटवर्किंग को गंभीरता से माना गया है। सर्वेक्षण और अध्ययन जारी थे। वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय, वर्तमान में सिंचाई के 1980 राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना, ने जल-अधिशेष से घाटे वाले क्षेत्रों में अंतर-बेसिन हस्तांतरण की परिकल्पना की। इसमें 35 मिलियन हेक्टेयर (एमएएच) की सिंचाई, 140 एमएएच की मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं का पूरा शोषण, 34 मिलियन किलोवाट (केडब्ल्यू) की बिजली उत्पादन का सीधा लाभ होगा; बाढ़ नियंत्रण, नेविगेशन, पानी की आपूर्ति, मत्स्य पालन, प्रदूषण नियंत्रण, मनोरंजन सुविधाओं, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा और सामाजिक-आर्थिक विकास आदि जैसी अप्रत्यक्ष लाभों के अलावा, अनुमोदन के संबंध में अपेक्षित मंजूरी के संबंध में यह कहा गया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत के संघ ने कुछ मामलों में, कुछ अन्य मामलों में इसे अस्वीकार कर दिया था। कुछ राज्यों की सहमति प्राप्त नहीं हुई थी। सन् 2002 में अपेक्षित वित्तीय निहितार्थ 5,60,000 करोड़ रुपए था।

21. हालांकि, भारत संघ ने यह प्रस्तुत किया है कि उच्चस्तरीय समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है जैसा कि याचिकाओं में प्रार्थना की गई है। राज्य-वार आम सहमति की रूपरेखा पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय टॉस्क फोर्स को स्थापित किया जाना है। नई दिल्ली में जल संसाधन मंत्रालय के तत्वावधान में एन.डब्ल्यू.डी.ए. को स्वायत्त पंजीकृत समिति के रूप में स्थापित किया गया था, 1992 में नई दिल्ली में, एफआरएस तैयार करने, पानी संतुलन और अन्य वैज्ञानिक अध्ययन आदि के लिए जैसे प्रायद्वीपीय क्षेत्र नदियां (और 1990 से ही हिमालयी क्षेत्र की नदियों के लिए भी) और जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा की गई। राज्य सरकारों के जल संसाधन / सिंचाई के लिए उनके मंत्रिमंडल के रूप में मुख्य मंत्री और / या मंत्री और सचिव इसके सदस्य हैं। एन.डब्ल्यू.डी.ए. द्वारा सभी 30 पहचाने गए लिंक की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी कर ली गई थी।

22. भारत संघ और कुछ राज्यों ने इन परियोजनाओं के प्रति अपनी चिंताओं और शंकाओं को दर्शाया है जिसमें दूरस्थ स्रोतों से पानी की आपूर्ति, पानी के वितरण और मौजूदा अतिरिक्त जल की उपलब्धता की निरंतरता की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।

23. एक अन्य शपथ-पत्र भारत संघ ने टॉस्क फोर्स व इसके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में संदर्भ की शर्तों के साथ निर्दिष्ट किया है। मैंने कार्य-योजना-1 तैयार की है जिसके सन् 2016 तक कार्यान्वित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। चर्चा किए जाने वाले स्वतंत्र लिंकों में पहले गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिंक हैं और दूसरे चरण में कर्नाटक, मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश और राजस्थान को चर्चा के लिए शामिल किया जाएगा और तीसरे चरण में आन्ध्र-प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्यों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाना था। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की दिसंबर, 2006 तक पूरा होने की अपेक्षा थी। हालांकि, रिकार्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि

आज तक भी यह परियोजना रिपोर्ट पूरी नहीं की गई है। नदियों के अंतर्गर्जन की योजना/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी विभिन्न समूहों और अधिकारियों द्वारा समीक्षा के अंतर्गत कही गई है।

24. संघ का यह भी इरादा है कि इन परियोजना रिपोर्टों में जल क्षेत्र की योजनाओं और वर्षा जल संचयन योजनाओं आदि को भी शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें स्वतंत्र रूप से अंतर्गर्जन योजना के जरिए कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। दिसम्बर, 2003 में अंतिम शपथ-पत्र में राज्यों की विस्तृत जानकारी दी गई थी जिनके साथ बातचीत आयोजित की गई थी और साथ ही उप-समितियों के गठन के विवरण भी दिए गए थे। सभी लिंकों की सहमति के साथ टॉस्क फोर्स की संदर्भ की शर्तें भी शामिल थीं। एक आम सहमति पर पहुंचने के इरादे से, समझौते में प्रवेश करने से पहले, भारत संघ ने महाराष्ट्र और गुजरात के साथ इसके विवरणों पर चर्चा की है और प्रारंभिक चर्चा आंध्र-प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु और पांडिचेरी राज्यों के साथ हुई है। भारत संघ के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया जाना उपयुक्त नहीं था क्योंकि यह मामला असामयिक था। एन.डब्ल्यू.डी.ए. को पहले लिंक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को आरम्भ करना था अर्थात् केन-बेतवा परियोजना जिसकी कि 30 महीने का समय लेने की उम्मीद थी इसके लिए डी.पी.आर. तैयार कर लिया गया है, हालांकि कार्यान्वयन शुरू किया जाना है। हमें यह अवश्य ध्यान में रखना होगा कि दूसरे लिंकों के लिए अभी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं है। समझौते ज्ञापन का प्रारूप तीन और प्रायद्वीपीय लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के संचालन के लिए परिचालित किया गया था। जल संसाधन पर संसद की स्थायी समिति ने साल 2004-05 की अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि केन-बेतवा लिंक और पार्वतीकालीसिंध-चंबल लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के उद्देश्य के लिए 14 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से कुल 35 करोड़ रुपये एन.डब्ल्यू.डी.ए. के लिए आवंटित किए थे। हालांकि स्थायी समिति को निरीक्षण करने के लिए बाध्य किया गया था, यद्यपि केन-बेतवा लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट नवम्बर, 1996 में पूरी हो गई थी परन्तु अभी भी परियोजना अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। सन् 2004-05 में रिपोर्ट के समय उत्तर-प्रदेश और मध्य-प्रदेश की सरकारों के बीच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए उस पर हस्ताक्षर किए जाने बाकी थे, इस आधार पर कि उत्तर-प्रदेश राज्य को ज्यादा पानी आवंटित किया जाए क्योंकि उत्तर-प्रदेश को अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने आगे देखा कि यदि जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने इस तरह के मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए एक समय-सीमा को तय कर लिया है तो 8 साल का कीमती वक्त बर्बाद नहीं जाएगा। यह मामला अभी भी इसी स्तर पर है। आज, यद्यपि एकमात्र इस लिंक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है परन्तु फिर भी कोई भी लिंक परियोजना कार्यान्वयन स्तर तक नहीं पहुँचा है।

25. स्थायी समिति की रिपोर्ट जिसने नदी अंतर्गर्जन प्रस्ताव की जांच कर ली थी, उसे भारत की संसद में 23 अगस्त, 2004 को प्रस्तुत किया गया था। यह दृढ़तापूर्वक सिफारिश की गई थी कि सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और व्यवहारिकता रिपोर्ट के दिशा-निर्देशों को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा को तय किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पूरा किया जा सके व उचित समय और लागत के भीतर लाभ को अर्जित किया जा सके। स्थायी समिति की यह राय थी कि हिमालयी और दक्षिणी क्षेत्र की नदियों का अंतर्गर्जन किया जाए और यदि इसे निश्चित कार्यक्रम के तहत किया जाता है तो यह स्थायी सूखा व बाढ़ के विनाशकारी नुकसानों से राष्ट्र को बचाएगा। स्थायी समिति की सिफारिशें मुख्य रूप से दो प्रकार के राज्यों के साथ व्यवहार में लायी जाएंगी जिन राज्यों में पानी की कमी है और जिन राज्यों में अतिरिक्त पानी है, परन्तु फिर भी राज्यों की तीसरी श्रेणी भी होगी, उनमें वे राज्य शामिल होंगे जिनके पास पर्याप्त पानी होगा और जिससे राज्य बाढ़ प्रभावित या सूखा प्रभावित श्रेणियों में नहीं आएंगे। ऐसे राज्यों की भूमिका बहुत अधिक परियोजना से संबंधित नहीं हो सकती परन्तु कार्यक्रम को पूर्णता से

संपन्न किए जाने के लिए उनकी सहमति की आवश्यकता है। नहर परियोजनाओं, विभिन्न नदियों के अंतर्गर्जन करने जो इन राज्यों से निकलती हैं, इसके लिए उनकी भूमिका प्रासंगिक है, लेकिन जैसा कि पहले से ही देखा गया है कि केवल एक को छोड़कर कोई भी दूसरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और वास्तव में किसी को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह प्रश्न बचा ही हुआ है और इसको समर्थ मंच द्वारा उचित स्तर पर जांचा जाना चाहिए।

स्थिति रिपोर्ट का प्रक्षेपण:

26. इस केस में विभिन्न स्थिति-रिपोर्टें दायर की गई हैं। 18 मार्च, 2011 को भारत संघ द्वारा अंतिम स्थिति-रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह बताया गया है कि एन.डब्ल्यू.डी.ए., जिसको कि परियोजना लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरा करना था, उसने 208 प्रारंभिक बेसिन जल-संतुलन अध्ययन, उप-बेसिन व डायवर्सन पॉईंट, 74 टॉपोशीट और जलाशय भंडारण क्षमता अध्ययन, लिंक संरेखण के 37 टॉपोशीट अध्ययन, 32 लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट देश में नदियों के अंतर्गर्जन के कार्यान्वयन की दिशा में पूर्ण कर ली है। दूसरी अंतर्गर्जन परियोजनाओं को लागू करने की व्यावहार्यता के संबंध में आम सहमति बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। यह रिपोर्टें प्रकट करती हैं कि सार्थक प्रयास किए गए हैं और निर्विवाद लाभ जो कि अंतर्गर्जन की प्रक्रियाओं से प्राप्त होंगे, वह देश को व्यापक स्तर पर लाभ देंगे। एक पहलू जिस पर कि ध्यान देने की आवश्यकता है कि आज तक कोई भी बड़ी या छोटी योजना वास्तव में जमीनी-स्तर पर कार्यान्वित नहीं हुई है और इस तथ्य के बावजूद की यह केस दस साल से भी अधिक समय से इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा है। केवल केन-बेतवा लिंक के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के अनुमोदन का इंतजार है केवल कार्य के आरम्भ होने तक के लिए भी फंड (राशि) के आवंटन का इंतजार हो रहा है। किसी भी संबंधित सरकार को इस परियोजना को लागू करने की इच्छा नहीं है, बावजूद इस तथ्य के सभी के बीच इस विचार के प्रति मतैक्य अर्थात् सर्व-सम्मति है जो कि यह परियोजना राष्ट्र के हित में है।

27. पर्यावरणविदों की समिति, सामाजिक वैज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की समिति, नदियों के अंतर्गर्जन पर, 5 मार्च, 2010 की स्थिति-रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मिले। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा की। हिमालयी क्षेत्र में, दो शेष लिंकों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन पूरा हो गया था, अर्थात् सारदा-यमुना लिंक और घागरा-यमुना लिंक। क्षेत्रीय सर्वेक्षण और गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियों पर सोन बांध के लिए जांच अभी भी प्रगति पर है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा लिंक की जांच के लिए अनुमति देने से इंकार कर दिया, परन्तु वैकल्पिक जोगोपा-तिस्ता-फरक्का लिंक के लिए टॉपोशीट अध्ययन को पूरा किया गया। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, बेट्टी-वरदा और नेत्रवती-हेमावती-तापी संबंधित परियोजनाएं कर्नाटक सरकार की सहमति का इंतजार कर रहीं हैं। नेत्रवती-हेमावती-तापी लिंक में, कर्नाटक सरकार ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तक के लिए सहमति देने से इंकार कर दिया जब तक कि इससे संबंधित केस न्यायालय में लंबित है।

28. धाडुन बांध जो कि केन-बेतवा लिंक से संबंधित है, वहां पर दो बिजली घर और एक लिंक नहर चरण-1 के लिए लिया जाएगा और बेतवा बेसिन को चरण-2 के तहत पूरा किया जाएगा। ऊपरी बेतवा उप-बेसिन को पूरा करने में प्राथमिकता दी जाएगी और छोटी परियोजनाओं को पहले पूरा किया जाना प्रस्तावित है। चरण-2 को आरम्भ सर्वेक्षण और जांच के बाद किया जाएगा। हालांकि, यह परियोजना अभी भी सर्वेक्षण और योजना चरण में है जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार से व्यापक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती। राजस्थान राज्य ने एक अन्य प्राथमिकता लिंक, पारबाती-कालीसिंघ-चम्बल के लिए समझौता ज्ञापन पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जब तक कि इसकी हाइड्रोलोजी योजना अपडेट नहीं हो जाती है।

29. इसी तरह अन्य योजनाएं भी हैं जहां कि सर्वेक्षण और जांच में इसके विरुद्ध सार्वजनिक बाधाएं आती हैं। पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजल लिंक में, निवासियों ने प्रस्तावित बांध के निर्माण पर जमीन के जलमग्न होने के बारे में चिंता व्यक्त की है। प्रतिउत्तर में, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने परियोजना को शुरू करने व मामलों को पंचायत स्तर पर लेना आरंभ कर दिया है।

30. एन.डब्ल्यू.डी.ए. ने भी अपनी नीतियों को तैयार करने के लिए अंतरराज्यीय लिंक को प्रस्तावित किया है। छः राज्यों और चार संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन अंतरराज्यीय लिंकों में रुचि है। आठ अंतर्गोचर परियोजनाएं हैं जो विभिन्न राज्य अधिकारियों के समक्ष समीक्षा के अधीन हैं। हालांकि अब तक भी राज्य सरकारों के बीच इस अलगाव के विवरण का कारण स्पष्ट नहीं है।

31. एक अतिरिक्त शोध अध्ययन नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा आरम्भ किया गया था और संशोधित अंतिम रिपोर्ट अप्रैल 2008 में प्रकाशित हुई जिसमें नदियों के अंतर्गोचर कार्यक्रम के आर्थिक प्रभावों का आँकलन किया गया और इसमें निवेश का सुझाव दिया गया अर्थात् इसके लिए एक व्यावहारिक कार्यान्वयन अनुसूची का सुझाव दिया गया। इस अदालत के समक्ष इस रिपोर्ट की एक प्रति, साल 2011 में प्रस्तुत की गई थी।

32. जैसा कि पहले से ही देखा गया है, टास्क फोर्स दिसंबर, 2002 से ही केंद्र सरकार द्वारा नदी अंतर्गोचर की दिशा में क्रियाशील है। इसने परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनी कार्य-योजना -1 और कार्य-योजना -2 को प्रस्तुत किया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए संदर्भ की शर्तों को भी अंतिम रूप दिया है। कार्य-योजना-1 को अप्रैल, 2003 में प्रस्तुत किया गया था, 30 व्यवहार्यता रिपोर्टों को दिसंबर, 2005 तक पूरा करने की परिकल्पना की है।

33. कार्य-योजना-2 को अप्रैल, 2004 में प्रस्तुत किया गया, मुख्य रूप से अपनी आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में व्यक्तिगत परियोजनाओं के मूल्यांकन, पुनर्वास योजना तैयार करने और राज्यों के बीच शीघ्र आम सहमति पर पहुंचने की परिकल्पना की गई थी। रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपा गया और अभी विचाराधीन है। काम के पूरा होने पर, टास्क फोर्स का अपना उद्देश्य पूरा हो गया और टास्क फोर्स समाप्त हो गया। टास्क फोर्स की समाप्ति के बाद, जल संसाधन मंत्रालय के तहत नदियों के अंतर्गोचर के लिए एक विशेष सेल निर्मित की गई थी। हालांकि, टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत दोनों कार्य-योजना रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के बाद क्या हुआ, यह मामला किसी के लिए सोचने को बचा ही हुआ है।

34. ऊपर वर्णन के अनुसार, तैयारी, निष्पादन, वित्तपोषण और आम सहमति के निर्माण में कठिनाइयों की कल्पना करना मुश्किल नहीं है, फिर भी, इन परियोजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग व संवेदनशीलता के साथ पूरा करना समय की मांग है।

आर्थिक पहलू:

35. वर्ष 2004-05 की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे भारत की संसद में पेश किया गया था, एन.डब्ल्यू.डी.ए. के तहत योजनागत बजट आवंटन निम्नानुसार किया गया था:

36. 2002-03 के लिए वास्तविक आवंटन 15.30 करोड़ रुपये था, 2003-04 के लिए बजट अनुमान 20 करोड़ था, उसी साल का संशोधित अनुमान 21.95 करोड़ रुपये था और 2004-05 के लिए, बजट का अनुमान 35 करोड़ रुपये था।

37. एमिकस क्युरी ने अपनी रिपोर्ट में यह अवलोकन किया है कि पूरे कार्यक्रम की नई समस्त लागत 2003-04 में 4, 44,331.20 करोड़ रुपये और 2003-04 में 4, 34,657.13 करोड़ रुपये के बीच अलग-अलग थी, प्रस्तावित मानस-संकोश-टिस्टा गंगा लिंक या जोगिगोपा:टिस्टा:फरक्का लिंक के कार्यान्वयन के आधार पर क्रमानुसार थी।

38. जैसा कि पहले से देखा गया है, एन.सी.ए.ई.आर.को नदी के अंतर्योजन कार्यक्रमों के आर्थिक प्रभाव के आंकलन करने का काम सौंपा गया था, जिसके बदले में इसके लिए एक निवेश रोल-आउट योजना का सुझाव दिया गया था। एन.सी.ए.ई.आर. की रिपोर्ट अप्रैल 2008 में तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में विभिन्न आर्थिक पहलुओं और विभिन्न नदियों के अंतर्योजन परियोजनाओं के प्रभाव पर विचार करती है। उन्होंने प्रकट किया कि स्वतंत्रता के बाद, सिंचाई को एक वाणिज्यिक उद्यम के बजाय कृषि विकास के लिए बुनियादी ढांचे के रूप में देखा गया था। 1983 में, नितिन देसाई कमेटी ने रिटर्न की आंतरिक दर (यहां पर 'आई.आर.आर.' उल्लेखित की गई है) के विचार को अग्रणी किया, जिसमें सुझाव दिया गया था कि परियोजनाओं को आम तौर पर न्यूनतम आई.आर.आर. 9 प्रतिशत अर्जित करना चाहिए। हालांकि, सूखा-प्रवण और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और बेसिन में केवल 75 प्रतिशत भरोसेमंद प्रवाहों वाले क्षेत्रों में, 7% के कम आई.आर.आर. की सिफारिश की गई थी। सफल वित्त आयोगों ने कार्य व्यय के अलावा पूंजी निवेश के कुछ प्रतिशत की वसूली पर जोर दिया। ग्यारहवें वित्त आयोग ने मान्यता दी है कि यह क्रमिक तरीके से किया जाना चाहिए। रसीदों में न केवल रखरखाव के खर्च को कवर किया जाना चाहिए अपितु निवेश पूंजी पर वापसी के रूप में कुछ अधिशेष को छोड़ा जाना चाहिए।

39. यह एन.सी.ए.ई.आर. रिपोर्ट में कुछ सार्थकता के साथ यह पाया गया कि 2003-04 तक, यह केवल चार वर्षों में तक में था कि अर्थव्यवस्था 8% से अधिक प्रतिवर्ष बढ़ी। इन वर्षों में प्रत्येक में कृषि क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि दर हुई। इसके विपरीत, उद्योग और सेवाओं के क्षेत्र में, सर्वोत्तम रूप से, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है, जब कृषि क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा था। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से मानती है कि नदी परियोजनाओं का अंतर्योजन पूरी तरह से देश के लिए उपयोगी साबित होगा और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए कृषि क्षेत्र से उच्च रिटर्न एक बड़ा उद्देश्य प्रदान करेगा। इससे बाढ़ के नियंत्रण, सूखा-प्रवण राज्यों को पानी प्रदान करने, कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा और यहां तक कि बिजली उत्पादन के लिए पानी उपलब्ध कराने जैसे विभिन्न लाभ उपलब्ध कराये जा सकते हैं। देश के लाभ की घोषणा के अलावा, यह नेपाल जैसे देशों को भी मदद

करेगा, इस तरह से यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को ऊपर उठाएगा। महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने यह भी बताया कि नदियों का अंतर्योजन एक महत्वपूर्ण पहलू है, अर्थात्, सुरक्षित पेय जल की आपूर्ति के कारण कुछ बीमारियों में कमी आ सकती है और इस तरह से यह मानवता की सेवा महान उद्देश्य के साथ करता है।

40. भाखड़ा बांध को इस रिपोर्ट में एक उदाहरण के रूप में भी प्रकट किया गया है क्योंकि पंजाब और हरियाणा के राज्यों को देश के बाकी हिस्सों की तुलना में तेज वृद्धि दर्ज करने के लिए इसे सक्षम बनाया गया है। इस परियोजना ने 35 वर्षों में 6.8 मिलियन हेक्टेयर की सीमा तक एक अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र उपलब्ध कराया है। सिंचाई की बढ़ी हुई वृद्धि से उच्च उपज वाले किस्म (एच.वाई.वी.) के बीज के बढ़ते उपयोग में वृद्धि हुई है जो वर्तमान में गेहूं के तहत 90 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र और धान की खेती के तहत क्षेत्र का 80 प्रतिशत का गठन करते हैं। यह क्षेत्र भारत में सबसे उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। एन.सी.ए.ई.आर. ने इन राज्यों और भारत के अन्य राज्यों के बीच गरीबी अनुपात को दर्शाते हुए, निम्नलिखित तालिकाओं को प्रदान किया है:

राज्य	ग्रामीण		शहरी		सभी क्षेत्र	
	1973-1974	1999-2000	1973-1974	1999-2000	1973-1974	1999-2000
पंजाब	28.21	6.35	27.96	5.75	28.15	6.16
हरियाणा	34.23	8.27	40.18	10.00	35.36	8.74
संपूर्ण भारत में	56.44	27.09	49.01	23.62	54.88	26.10

41. इस तरह से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भाखड़ा बांध भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद करने में सहायक है, अनाज की कीमतों में अस्थिरता को कम करने और उन क्षेत्रों में गरीबी की घटनाओं को घटाने में मददगार रहा है।

42. भाखड़ा बांध के लाभों को सूचित करने के अलावा, एन.सी.ए.ई.आर. की रिपोर्ट यह भी बताती है कि लिंक नहरों की अर्थव्यवस्था पर लघु और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। लिंक नहरों का अल्पकालिक प्रभाव रोजगार के अवसरों में वृद्धि और सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि के रूप में होना है। मध्यम से लंबी अवधि में, लिंक नहरों का बड़ा असर, बढ़ी हुई और आश्वस्त सिंचाई के माध्यम से है। हालांकि, नदियों (आई.एल.आर.) के अंतर्योजन से प्रमुख और प्रत्यक्ष लाभ कृषि और कृषि-आधारित घरों पर होगा, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी और अन्य लाभों के कारण पूरी अर्थव्यवस्था लाभान्वित होगी।

43. एन.सी.ए.ई.आर. की रिपोर्ट ने राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रमों के जरिए होने वाले लाभों को बताया है। हालांकि, जब हम कार्यक्रम के वित्तीय पहलू पर आते हैं तब इस संदर्भ में दो अवधारणाओं की बहुत ही प्रासंगिकता है: इसमें पहला है निवेश का तनाव और दूसरा है वित्तीय निवेश का विषयक्षेत्र और इसकी आपूर्ति। प्राथमिक तौर पर हमारे समक्ष अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि यह एक ऐसा

कार्यक्रम/परियोजना है जिसके लिए राष्ट्र और राज्यों में एक तर्कसंगतता या विवेकशीलता होनी चाहिए परन्तु वित्तीय के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार होना चाहिए। वित्तीय तनाव का हवाला देते हुए एन.सी.ए.ई.आर. रिपोर्ट निवेश योजना के लिए दो सेटों की योजना का प्रस्ताव है। कार्यक्रम की शुरुआत में निवेश छोटा होगा परन्तु साल 2011-12 तक में इसमें क्रमिक रूप से वृद्धि होती जाएगी। तब यह गिरना प्रारम्भ हो जाएगा। निवेश का रोल -आउट 2008-2009 से लेकर 2014-2015 तक केंद्र सरकार के वित्त पोषण पर पर्याप्त दबाव डालेगा, विशेष रूप से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमों के पारित होने के बाद। सरकार अब राजकोषीय घाटे को प्रति वर्ष 0.3 प्रतिशत जीडीपी कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और राजकोषीय घाटे की जी.डी.पी. 2007-2008 के वित्तीय वर्ष में 03 प्रतिशत नीचे घटी थी। एफ.आर.बी.एम.आर. ने भी सरकारी कर्ज पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रत्येक बाद के वित्तीय वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 09 प्रतिशत उधार की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 01 प्रतिशत क्रमिक रूप से कम करना है, यह एक प्रतिबद्धता है जिस पर कि सभी सरकारों को दृढ़ रहना है। जो निवेश योजना एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा तैयार की गई है उसका इरादा कार्यक्रम के बारे में लोगों और विपक्षियों के मन की शंकाओं को दूर करने में मदद प्रदान करने के लिए था जिनका कि निवेश दो या तीन सालों के लिए नहीं था अपितु उनका निवेश कम से कम 10 साल की अवधि के लिए था और अब क्योंकि एन.सी.ए.ई.आर. द्वारा किए गए विश्लेषण से भी यह माना गया है कि नदियों के अंतर्योजन को केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। एक लंबी रोल-आउट योजना भी सार्वजनिक वित्त पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने में मदद पहुँचाएगी।

44. एन.सी.ए.ई.आर. ने कुछ परिवर्तनों को भी सुझाव दिया है जो कि नदी अंतर्योजन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से कार्यान्वित किए जाने के लिए आवश्यक हैं। अन्य बातों के साथ ही साथ इसमें सिंचाई के लाभों की कीमत और सेवा की गुणवत्ता में सुधार भी शामिल है। इस स्तर पर यह ध्यान देना उपयोगी होगा कि यह सुझाए गए परिवर्तन "आवश्यक परिवर्तन" के रूप में परिभाषित किए गए हैं जो कि नीचे दिए गए हैं:

पानी की दक्षता में सुधार के लिए पानी की दरों में संशोधन होना आवश्यक है। हालांकि इसको सेवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही साथ किया जाना चाहिए (भारत सरकार 1992)। सिंचाई जल की कीमतों पर समिति द्वारा विशिष्ट सिफारिशों की गई हैं:

1. जल की दर उपयोगकर्ता के शुल्क का एक रूप है और यह टैक्स नहीं है। सार्वजनिक सिंचाई के उपयोगकर्ता को सिंचाई सेवा की लागत को अवश्य पूरा करना चाहिए।
2. क्योंकि सिंचाई बीच और उर्वरक के समान ही एक मुख्य निवेशित वस्तु है इसलिए इसके मूल्य निर्धारण को पहले ही चरण में बता दिया जाना चाहिए।
3. सिंचाई के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं -
4. सिंचाई सेवाओं की खराब होती गुणवत्ता जल की दक्षता को बढ़ाने के लिए जल की दरों में संशोधन होना आवश्यक है। हालांकि, सेवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही इसे किया जाना चाहिए।

5. गैर कृषि उपयोगकर्ता (घरेलू और औद्योगिक) के लिए भी मूल्य को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि पूरी लागत को वापिस प्राप्त किया जा सके।
6. दरों को ओ. और एम. मानदंडों और पूंजीगत शुल्क (ब्याज और मूल्य मूल्यहास) पर आधारित किया जाना चाहिए।
7. क्षेत्र और/ या परियोजना के वर्गीकरण की दरों का औसत करना वांछनीय है। इसे वर्गीकृत किया जा सकता है:
 - प्रमुख और मध्यम भंडारण प्रणाली,
 - प्रमुख और मध्यम परियोजनाएं जो विशेषकर नदी-बांध/दिशा-परिवर्तन कार्यों पर आधारित हैं,
 - मामूली सतह सिंचाई के कार्य
 - सिंचाई नहरों को उठाना, और
 - भूजल से सिंचाई को उन्नत करना।
8. एक प्रणाली के प्रति दरों में अधिक अंतर, मिट्टी की गुणवत्ता और दर निर्धारण करने के अन्य मानदंडों को सावधानीपूर्वक निपटाया जाना चाहिए क्योंकि इसके साथ बेहद जटिलताएं निहित होती हैं।
9. –
10. दो दरों वाले टैरिफ प्लान को जल दर के लिए लागू किया जाना चाहिए। सिंचाई क्षेत्र की सभी जमीनों में प्रति हेक्टेयर आधार पर एक फ्लेट वार्षिक शुल्क प्रणाली की सदस्यता के लिए और प्रत्येक सदस्य के द्वारा उपयोग किया जाने वाला (मात्रा या क्षेत्र) सेवा की वास्तविक सीमा से जुड़ा एक परिवर्तनी शुल्क भुगतान किया जाना चाहिए।
11. पूर्ण रूप से बड़े मूल्य निर्धारण को शीघ्र ही प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। जल के मूल्य निर्धारण के प्रस्तावित सुव्यवस्थिकरण को तीन चरणों में पूरा करना होगा।
12. पहले चरण में आंकलन किए मौजूदा प्रणाली के सुव्यवस्थिकरण और सरलीकरण (फसल-वार सिंचाई क्षेत्र पर व्यक्तिगत आधार पर आधारित) के लिए विशेष मौसम क्षेत्र की दरों को लिया जाना चाहिए। पहले चरण के दौरान लागत वसूली के स्तर में कम से कम ओ. और एम. लागतों व नियोजित पूंजी पर 01 प्रतिशत ब्याज को कवर किया जाना चाहिए। सिंचाई क्षेत्र जो एक फसल के अंतर्गत एक से अधिक मौसम

में विस्तारित होता है उसके लिए विभिन्न मौसमों पर लागू दरों के अनुसार शुल्क लिया जाना चाहिए। हालांकि प्रत्येक मौसम में अलग अंतर से यह किया जाना चाहिए -

13. धान, गन्ना और बारहमासी फसलों के बीच।
14. दूसरे चरण में सिंचाई जल शुल्क के लिए मात्रात्मक माप का उद्देश्य होना चाहिए।
15. तीसरे चरण में पानी के उपयोग में सुधार के लिए लोगों की भागीदारी पर ध्यान को केंद्रित किया जाना चाहिए और इस प्रकार उत्पादकता में सुधार होगा।

सिंचाई के मूल्य निर्धारण पर समिति की सिफारिशें (बैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है) को आगे अधिकारियों के समूह द्वारा अध्ययन किया गया था जो कि अक्टूबर, 1992 में योजना आयोग द्वारा बनाया गया था। इसमें यह सिफारिश की गई थी कि आने वाले पांच सालों में सिंचाई के पानी की दरों में पूर्ण वार्षिक औ. और एम. लागत को कवर किया जाना चाहिए। फरवरी, 1995 में यह सिफारिशें और बैद्यनाथन समिति की रिपोर्ट सभी राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों को भेजी गई थी जिन्होंने सभी राज्यों के साथ पानी की दरों में वृद्धि के लिए संशोधन की कार्यवाही शुरू कर दी थी।

सारांश में कमियों और उनके विश्लेषण के लिए रिपोर्ट निम्नलिखित रूप से यह बताती है कि:

“उपरोक्त विश्लेषण की एक कमी यह है कि इसमें आई.एल.आर. परियोजना के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुर्नवास के मूल्य के मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गैर-विस्थापन या कम से कम विस्थापित विकल्प को बढ़ावा देने के द्वारा इस उद्देश्य से एक मसौदा राष्ट्रीय पुर्नवास नीति को तैयार किया गया था। मसौदा नीति को राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। एन.ए.सी. का इरादा पुर्नवास पैकेज को अंतिम रूप देने का है, जिसमें सभी कृषि परिवारों के लिए जमीन उपलब्ध कराना, विशेष रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को लागू करना, घरों व निवास-स्थानों को प्रदान करना, परिवहन लागत को पूरा करना, प्रशिक्षण और अन्य सेवाओं को प्रदान करना और आजिविका के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए एक पुर्नवास अनुदान की स्थापना करना है। जब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा तब आई.एल.आर. परियोजना को विस्थापन लागत के ऊपर राष्ट्रीय पुर्नवास नीति में निर्धारित किए गए मानदंडों पर विचार करना है।”

45. उपर्युक्त अवलोकनों और सिफारिशों को करने के अलावा, एन.सी.ए.ई.आर. ने यह भी सुझाव दिया है कि नदियों के अंतर्गर्जन कार्यक्रम के पूरा होने के बाद, पृथ्वी नदी बेसिन संगठनों द्वारा अलग-अलग नदी लिकों का रखरखाव किया जाना चाहिए, जो कि यह सभी संगठन केंद्रीय जल आयोग के प्रत्यक्ष नियंत्रण या ऐसे अन्य उपयुक्त केंद्रीय निकाय के अंतर्गत कार्य करेंगे।

46. अपनी रिपोर्ट के संक्षेप में, एन.सी.ए.ई.आर. ने कहा है कि पर्यावरण के लिए भोजन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य और समर्थन के उत्पादन के लिए पानी आवश्यक है। इसका खासतौर पर आर्थिक सफलता में मुख्य योगदान खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए कृषि के उपयोग के माध्यम से है। आधुनिक तकनीक के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए पानी आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र में आबादी का करीब 64 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 4

प्रतिशत कृषि पर निर्भर है क्योंकि यह उनकी आय का मुख्य स्रोत है। राज्य में किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि आई.एल.आर. कार्यक्रम में कृषि की विकास दर में वृद्धि की संभावना है, जो 1980 के दशक में 4.4 प्रतिशत से घटकर 1990 में 3.0 प्रतिशत हो गई और जो अभी भी वर्षा की अनियमितता के लिए अतिसंवेदनशील है। उच्च विकास पथ पर अपनी अर्थव्यवस्था को लागू करने और ग्रामीण इलाकों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, सिंचाई की बढ़ती उपलब्धता और गैर-कृषि गतिविधियों को बढ़ाने की मिश्रित नीति की आवश्यकता है।

लागू किए गए सिद्धान्त:

47. उपरोक्त वर्णित किए गए तथ्यों में, सिफारिशों और सिद्धांतों द्वारा यह स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित अधिकारियों के बीच एक या दो अपवादों के साथ इसके लिए एकमत हैं कि नदी अंतर्योजन के क्रियान्वयन से बहुत लाभ होगा। वास्तव में, विशेषज्ञों की राय सभी अन्य प्रभावों को स्पष्ट रूप से दूर कर देगी। इस तरह के कार्यान्वयन द्वारा प्राप्त होने वाले लघु और दीर्घकालिक लाभ के अलावा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, समृद्धि और प्रोत्साहन में अर्थव्यवस्था में संभावित वृद्धि होने की वजह से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है। यह हम तब ही अर्जित कर पाएंगे जब विशेषज्ञ की सिफारिशें ठीक से और एक समय सीमा के भीतर लागू की जाती हैं तो अर्थव्यवस्था पर शायद ही कोई वित्तीय तनाव होगा। इसके विपरीत, इस तरह के कार्यान्वयन से भारत की सकल घरेलू उत्पाद की उन्नति में मदद मिलेगी और पूरे देश में व्यापक रूप से अधिक धन और समृद्धि आएगी। आम आदमी को मिलने वाले वास्तविक लाभों के अलावा, सरकार राज्यों को सूखे से बचाने के साथ ही साथ बाढ़ से बचाने की निश्चित संभावना होने से भी यह लाभदायक रहेगा। यह परियोजना, जब एक एक वास्तविकता बन जाएगी, तब यह अतुलनीय लाभ प्रदान करेगी। हम इसमें कोई कारण नहीं देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को इस परियोजना के निष्पादन में उचित और समय पर दिलचस्पी क्यों नहीं लेनी चाहिए और अब जबकि बहुत से शपथ-पत्र केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा दायर किए गए हैं। यह विधिपूर्वक पुष्टि की गई है कि सरकारें बेहद सत्यता और प्रभाव के साथ इस परियोजना को लागू करने के लिए बहुत उत्सुक हैं।

48. राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु राज्यों ने पूरी तरह से इस विचार का समर्थन किया है। मध्यप्रदेश ने भी इस योजना का समर्थन किया है, लेकिन उसका मानना है कि इसे केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए। कर्नाटक, बिहार, पंजाब और सिक्किम राज्यों ने कुछ योग्य स्वीकृतियां दी हैं उनकी मुख्य चिंता अंतर-बेसिन हस्तांतरण के संबंध में है, जिसमें की मुआवजे को शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि किसी भी अन्य संसाधनों के साथ अंतर्योजन से जल अधिशेष से पानी की कमी वाले राज्यों को जोड़ना पर्यावरण और वित्तीय प्रभावों के संबंध में होनी चाहिए। अन्य राज्यों में से कुछ राज्य इन परियोजनाओं से जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि नदियों के अंतर्योजन में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। केरल राज्य ने कुछ हद तक विरोध किया है, इस आधार पर कि लंबी दूरी अंतःघाटी जल हस्तांतरण करने के लिए राज्य को प्राकृतिक और मानव निर्मित चैनलों के अपने जटिल नेटवर्क के द्वारा पानी की आपूर्ति को किए जाने की आवश्यकता होगी।

49. यह केरल राज्य का भी मामला है कि उनकी नदियां मानसून पर आश्रित हैं और उनकी प्रकृति बारहमासी नहीं है, इसलिए, गर्मी या मानसून न होने वाले महीने के दौरान केरल गंभीर रूप में पानी की कमी का सामना करता है।

50. ऊपर बताए गए अनुसार संबंधित राज्यों द्वारा उठाए गए ठहराव, दिखाते हैं कि, बड़े पैमाने पर, नदियों के अंतर्गर्जन के लिए मत्क्य है, लेकिन इन राज्यों के आरक्षण की भी अवहेलना नहीं की जा सकती है, उनकी विशेष आर्थिक, भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक जरूरतें हैं। ये ऐसे मामले हैं जो सामान्य आम सहमति के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार, सक्षम सरकार या विधानमंडल द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की आवश्यकता है, जो कि इसके निष्पादन से पहले किसी भी रूप में मामला हो सकता है।

51. संविधान के काम की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आर.डब्ल्यू.सी.) 2002 ने अपनी रिपोर्ट में नदी अंतर्गर्जन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू भी शामिल किया, अर्थात् नदियों का साझाकरण। नदी के साझाकरण के सिद्धांतों को समझाते हुए, तटीय अधिकार के सिद्धांतों का वर्णन किया है, पूर्व अनुशासन का सिद्धांत, प्रादेशिक अखंडता सिद्धांत, प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, तटीय अधिकार का अंग्रेजी सामान्य कानून सिद्धांत, सामुदायिक हितों का सिद्धांत, न्यायसंगत प्रावधान का सिद्धांत। यह भी समझाया गया है कि निर्धारित करते समय उचित और न्यायसंगत हिस्सा क्या है, निर्धारित करने के लिए किन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके संदर्भ में, विशेष रूप से अनुबंधों, न्यायिक फैसले, पुरस्कार और रिवाजों का उल्लेख किया गया है जो पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा, इच्छुक राज्यों की अपेक्षाकृत आर्थिक और सामाजिक जरूरतों, धाराओं और इसके उपयोगों की मात्रा, पानी के बिना भूमि होने पर अन्य प्रासंगिक विचार आदि थे। इस प्रकार, यह केवल विशेषज्ञ निकायों के लिए इस तरह के मुद्दों और परियोजना पर उनके प्रभाव की जांच के लिए होगा।

52. हो सकता है कि ऐसा हो, हमें यह देखने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राष्ट्रीय हितों को अलग-अलग राज्यों के हित में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्य सरकारें अधिक निष्पक्षता, तर्कसंगतता और सेवा की भावना के साथ राष्ट्रीय समस्याओं को देखने की उम्मीद करती हैं और बेकार उठायी गई आपत्तियां नुकसान पहुँचा सकती हैं और यह केवल पड़ोसी राज्यों को ही नहीं बल्कि देश को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा सकती है।

53. अब, हम कुछ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं जो हमारे सामने जारी होने वाले मामलों पर असर डालते हैं। संवैधानिक योजना के तहत, विधानमंडल, न्यायपालिका और कार्यकारी के बीच संचालन और क्षेत्राधिकार के क्षेत्रों की एक स्पष्ट सीमा है। विधानमंडल खुद को कुछ विशिष्ट कानून बनाने की शक्ति को बचा सकता है, संविधान की सातवीं अनुसूची में प्रदान की गई अपनी विधायी क्षमता के क्षेत्र को न केवल संचालन कर, बल्कि एक विशेष विवाद के संबंध में लेख में भी जो कि एक अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 262 ऐसी शक्तियों में से एक है। इस अनुच्छेद के तहत, संसद कानून द्वारा, किसी भी अंतःराज्यीय या नदी घाटी के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के फैसले को प्रदान कर सकती है।

54. संविधान के अनुच्छेद 262 (2) एक गैर-रूकावट अभिव्यक्ति के साथ प्रारंभ होता है जो कि संविधान में कुछ भी होने के बावजूद भी, संसद कानून द्वारा, जो न ही सुप्रीम कोर्ट या न ही कोई अन्य कोर्ट किसी भी विवाद के संदर्भ में क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता, यह प्रस्तावित किया है, जैसा कि अनुच्छेद 262 (1) में उल्लेखित किया गया है। दूसरे शब्दों में, संसद को स्वयं ही अदालतों के अधिकार क्षेत्र को हटाने का अधिकार है, इस अनुच्छेद के तहत वर्णित किए गए जल विवाद के संदर्भ में भूमि के सर्वोच्च न्यायालय सहित। कोर्ट का अधिकार क्षेत्र केवल विवाद के निर्णय के संबंध में बेदखल करने का है और सभी तरह के आकस्मिक मामलों में ऐसा नहीं है।

उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से अधिनियम 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार को अपने वैधानिक दायित्व को पूरा करने का निर्देश दे सकता है जो राज्यों के बीच किसी भी पानी के विवाद को तय किए बिना अनिवार्य है।

(देखें: तमिलनाडु कावेरी निरप्पासना विलाइपोरूलगल विवासयीगल नाला उरीमई पधुगप्पू सगंम बनाम युनियन ऑफ इंडिया एंड ओ.आर., ए.आई.आर. 1990 एस.सी. 1316)

55. संभावित विचारों में से एक जो अनुच्छेद 262 के संबंध दिया गया है वह यह है कि संविधान में अभिव्यक्त किया गया 'मे' (May) शब्द का उपयोग एक स्पष्ट वैधानिक इरादे को नहीं दर्शाता है, तो इस प्रकार यह संभव हो सकता है कि अधिनियम की धारा-11 केवल ऐसे विवादों का उल्लेख कर सकती है जो कि पहले से ही ट्रिब्यूनल में उल्लेखित किए गए हैं और जो कि अदालतों के दायरे से बाहर हैं।

56. संविधान की सातवीं अनुसूची ने कानून के विभिन्न क्षेत्रों (सूची I), राज्य सूची, (सूची II) और समवर्ती सूची (सूची III) के तहत को बताया है। सूची की प्रविष्टि 56 में केंद्रीय संसद को अंतःराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास के संबंध में कानूनों को अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि ऐसे कानून जो संसद द्वारा इस तरह के विनियमन और विकास को पर घोषित किए जाते हैं, जो कानूनी रूप से सार्वजनिक हित के लिए लाभदायक हो सकें। प्रादेशिक जल के अलावा मछली पकड़ने व मछली पालन आदि प्रवृष्टि 57 द्वारा निपटाया जाएगा। प्रवृष्टि 97 एक अतिरिक्त प्रवृष्टि है जो उन वैधानिक क्षेत्रों को प्रदान करती है जो विशेष रूप से सूची-2 और/ या सूची-3 के अंतर्गत प्रदान नहीं किए गए हैं। प्रवृष्टि 17 पानी से संबंधित है जो पानी की आपूर्ति, सिंचाई और नहरों, जल निकासी और तटबंधन, जल के भंडारण व जल-शक्ति से संबंधित सूची-1 की प्रवृष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन है।

57. प्रवृष्टि 42 की सूची 3 अधिग्रहण और संपत्ति की मांगसे संबंधित कानून है जो संघ और राज्य संसदों द्वारा दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप अधिग्रहण के संबंध में केंद्र और राज्य दोनों को ही कानून बनाने की शक्ति है। इस तरह से सूची 1 की प्रवृष्टि 97 के अंतर्गत अतिरिक्त शक्तियों की सहायता से केंद्रीय संसद को बहुत व्यापक कानून मिले हैं जो कि विभिन्न विषयों से संबंधित हैं।

58. नदी बोर्ड अधिनियम 1956 की सूची-1 की प्रवृष्टि-56 के अंतर्गत संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अंतःराज्यीय जल विवाद अधिनियम उसी प्रवृष्टि के संदर्भ में अधिनियमित किया गया था। जहाँ कि आज्ञापत्र जल के विवादों के निपटारे के लिए मशीनरी प्रदान करने के वास्ते है। पूर्व का अधिनियम सलाह और समन्वय के जरिए अंतःराज्यीय नदी घाटी के विनियमन और विकास के लिए समिति की स्थापना के करने से है जिससे संबंधित राज्यों के बीच के मन-मुटाव को कम किया जाए।

59. यह इस तरह के समन्वय है जो सभी स्तरों पर नदियों के अंतर्गोचन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है, जैसा कि प्रस्तावित है। सार्वजनिक धन की बड़ी मात्रा योजना चरण में ही खर्च की गई है और यह सुशासन के लिए हास्यपूर्ण और जनता के नुकसान का प्रतीक होगा, यदि ये परियोजनाएं ईमानदारी की भावना व इसके पूरा करने की इच्छा के साथ आगे कार्यान्वित नहीं की जाती हैं।

60. कर्नाटक राज्य के मामले में इस अदालत के हालिया फैसले में कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश और ओ.आर.एस. राज्य (2000) 9 एस.सी.सी. 572 के केस में इस अदालत के एक संविधान खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 11 में यह विचार किया कि किसी भी नदी में पानी का उपयोग, वितरण और नियंत्रण अभिव्यक्ति के

दायरे के निर्धारण में प्रमुख शब्द हैं जो अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत गठित एक ट्रिब्यूनल पर दिए गए हैं। अगर कोई भी मामला इन तीन महत्वपूर्ण शब्दों के दायरे से बाहर होता है, तो किसी भी पानी के विवाद के संबंध में अदालतों के क्षेत्राधिकार को बाहर करने में धारा 11 की शक्ति है, जो कि अन्यथा ट्रिब्यूनल के संदर्भ में नहीं है, इसके बिना किसी भी तरह का आवेदन नहीं होगा। न्यायालय में किसी राज्य द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई की रख-रखाव का परीक्षण इस प्रकार होगा कि क्या उसमें उठाए गए मुद्दों में पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण के तरीके के फैसले के लिए एक ट्रिब्यूनल का उल्लेख किया गया है।

61. आगे, इस कोर्ट ने मुद्दे को अस्वीकार करते हुए कर्नाटक, आंध्र-प्रदेश, और महाराष्ट्र राज्यों को एक सामान्य अधिकरण को गठन करने के लिए एक परमादेश जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें:

“168 यह कानून तय किया गया है कि ऐसा निर्देश संभवतः नहीं दिया जा सकता है जिससे कि किसी शक्ति का उपयोग करने के लिए एक प्राधिकारी को मजबूर किया जा सके। किसी भी स्थिति में मंडल एक शक्ति प्रयोग के लिए जिसका स्वरूप वैधानिक हो, उसे जारी नहीं किया जा सकता और मैं श्री सॉलीसिटर जनरल के इस स्कोर की प्रस्तुति के लिए पूर्ण सहमत हूँ। केवल यह सुशासन के लिए सर्वोत्तम मुद्दा होगा परन्तु इसके द्वारा इसका यह मतलब नहीं है कि राज्य पर एक समझौता लाने के लिए उसे मजबूर कर केंद्र सरकार के पास शासनात्मक कार्यकारी शक्ति है।”

62. उपरोक्त दर्शाए गए सिद्धांत स्पष्ट रूप से यह प्रकट करते हैं कि राज्यों और केन्द्रों के बीच मतैक्य और सर्वसम्मति का एक दोतरफा कारक बनाना आवश्यक है। अदालतों के लिए न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति के सीमित दायरे के भीतर सार्वजनिक रूचि मुकदमे के विस्तारित सिद्धांतों के आधार पर इस तरह की कवायद शुरू करना बहुत कठिन होगा। इस अदालत के सामने एक जनहित याचिका संवैधानिक कानून के रूप में आती है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से कोई अधिकार क्षेत्र व्यापक नहीं है। न्यायालय, देश के लिए नीति निर्णय या योजना बनाने या आर्थिक कारकों या अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का निर्धारण करने के लिए खुद ही कार्य कर सकता है जैसे अधिग्रहण और उस कार्यक्रम के तहत नदी अंतर्योजन चैनलों के निर्माण के लिए। न्यायालय ऐसे विशेषज्ञ निर्णयों को लेने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें केंद्र सरकार और संबंधित राज्य के लिए अनिवार्य रूप से रखा जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा किए गए इस तरह के प्रयास संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञों के विचारों के फैसले में बैठे न्यायालय में हो सकते हैं, इसके निपटान में किसी भी उपकरण और विशेषज्ञता के बिना। वर्तमान मामले में आवश्यकताओं के विभिन्न आयाम हैं। नियोजन, अधिग्रहण, वित्तपोषण, मूल्य निर्धारण, सिविल निर्माण, पर्यावरण संबंधी मुद्दे शामिल हैं जो नीतिगत निर्णयों को प्रभावी ढंग से प्रभावित करते हैं और यह राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के डोमेन में स्पष्ट रूप से आते हैं। हमें निश्चित रूप से यह नहीं समझना चाहिए कि नदियों के अंतर्योजन की प्रस्तावित परियोजनाएं पूरी नहीं हो सकतीं।

63. हम अपने आदेश में सभी न्यायिक अधिकारियों को सिफारिश करेंगे, कि ये परियोजनाएं राष्ट्र के हित में हैं, जैसा कि सभी विशेषज्ञों, सर्व राज्य सरकारों और विशेषकर केंद्र सरकार के सर्वसम्मत विचार हैं। परन्तु यह न्यायालय इस तरह के एक कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन के लिए एक बहुत उपयुक्त मंच नहीं है, जिससे व्यापक राष्ट्रीय आयाम और प्रभाव पड़ता हो। यह केवल इच्छायोग्य ही नहीं है, अपितु अनिवार्य भी है कि एक उपयुक्त निकाय को एक कार्यक्रम बनाना चाहिए और व्यापक रूप से देश के फायदे के लिए नदियों के इस अंतर्योजन कार्यक्रम को अमल में लाया जाना चाहिए।

64. अपनी सीमाओं को महसूस करते हुए, हम अंततः निम्नलिखित निर्देशों के साथ इस जनहित याचिका का निपटान करेंगे:

(I) हम भारत सरकार और विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को तत्काल एक समिति का गठन करने के लिए निर्देशित करते हैं जिसे "नदियों के अंतर्योजन के लिए विशेष समिति" (यहां इसे समिति उल्लेखित किया गया है) कहा जाएगा, इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(क) माननीय जल संसाधन मंत्री

(ख) जल संसाधन मंत्रालय के सचिव

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव

(घ) केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष

(ङ) सदस्य - सचिव, राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण

(च) निम्नलिखित मंत्रालयों/निकायों से चार विशेषज्ञों को नामित किया जाएगा, जो कि प्रत्येक मंत्रालय/निकाय से एक होगा:

(i) जल संसाधन मंत्रालय के एक विशेषज्ञ व्यक्ति

(ii) वित्त मंत्रालय से एक विशेषज्ञ व्यक्ति

(iii) योजना आयोग से एक विशेषज्ञ व्यक्ति

(iv) पर्यावरण और वन मंत्रालय से एक विशेषज्ञ व्यक्ति

(छ) एक ही राज्य के संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के साथ प्रत्येक समान राज्यों के जल और/ या सिंचाई मंत्री।

(ज) किसी भी अन्य राज्य के मामले में जो सीधे या परोक्ष रूप से नदी अंतर्योजन परियोजना में शामिल होने पर मुख्य सचिव या उनके द्वारा नामित उम्मीदवार संबंधित विभाग के प्रधान सचिव के पद से नीचे के पद का नहीं होना चाहिए।

(i) प्रत्येक संबंधित संबंधित मंत्रालय द्वारा दो सामाजिक कार्यकर्ताओं को नामित किया जाना है।

(ii) श्री रणजीत कुमार (एमिकस क्युरी)

(ii) समिति कम से कम दो महीने में एक बार मिलेगी और चर्चा करेगी व अपने मीटिंग-मिनट व चर्चा के रिकार्ड को बनाए रखेगी।

(iii) ऐसी बैठकों में किसी भी व्यक्ति के अनुपस्थित रहने पर, बिना उसके पद व हैसियत का ध्यान रखे बगैर बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा। यदि जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के मंत्री मौजूद नहीं होंगे तो जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

(iv) समिति ऐसी उप-समितियों का गठन करने की हकदार होगी, क्योंकि ऐसे नियम और शर्त जो कि उचित हों, उन्हें नदी अंतर्योजन परियोजना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक समझा जा सकता है।

(v) समिति भारत सरकार की कैबिनेट में द्वि-वार्षिक रिपोर्ट को पेश करेगी, ताकि सभी आवश्यक निर्णयों को इसके साथ सूचित किया जाए व इसके लिए वह स्थिति प्रगति रिपोर्ट को भी इसके समक्ष रखेगी। कैबिनेट शीघ्र-अतिशीघ्र देशों के हित में सभी अंतिम व उचित निर्णयों को लेगा और पहली बार उसके समक्ष विचार के लिए मामलों को रखने के 30 दिन के भीतर उसके निर्णय को प्राथमिकता देगा।

(vi) सभी विशेषज्ञ निकायों की रिपोर्टों व इस याचिका की विचारधीन अवधि के दौरान इस अदालत के सामने प्रस्तुत की गई स्थिति रिपोर्ट को इसके विचारार्थ समिति के समक्ष रखा जाएगा। रिपोर्टों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर समिति परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अपनी योजना को तैयार करेगी।

(vii) तैयार की गई योजनाओं में विभिन्न चरण होंगे जो कि सीधे तौर पर योजना बनाने, उस पर अमल करने, निर्माण करने, निष्पादन और परियोजना को पूरा करने से संबंधित होंगे।

(viii) हमें सूचना मिली है कि 'केन-बेटवा परियोजना' की प्रारंभिक व विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत सी रकम खर्च की गई है। मध्य-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश और केंद्र सरकार ने भी पहले ही अपनी मंजूरी और सहमति दे दे है। मांगे गए स्पष्टीकरण पर समिति द्वारा चर्चा की जाएगी। हम इसे पहले उदाहरण के तौर पर इसको कार्यान्वित करने के लिए परियोजना को लेने के लिए समिति को निर्देशित करेंगे।

(ix) विशेषज्ञ की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नदियों के अंतर्योजन परियोजना का अवलोकन और निर्देशन करने में हमें कोई संकोच नहीं है। जैसा कि एन.सी.ए.ई.आर. और स्थायी समिति की रिपोर्ट में प्रकट किया गया है कि देरी होने से वित्तीय लाभों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जो कि संबंधित पार्टियों और बड़े पैमाने पर लोगों से प्राप्त किया जा सकता था, जो कि सभी संबंधित लोगों पर अब वास्तव में एक वित्तीय तनाव को डाल रहा है।

(x) यह दिशा-निर्देशित किया जाता है कि समिति व्यवहार्यता रिपोर्ट या अन्य रिपोर्टों को पूरा करने के लिए निर्देशित कदमों को उठाएगी और निश्चित समय-सीमा का तय करेगी व परियोजनाओं को पूरा करने को सुनिश्चित करेगी समय व लागत के भीतर लाभों को अर्जित किया जा सके।

(xi) आरंभिक चरणों में यह कार्यक्रम उन राज्यों को सम्मिलित नहीं करेगा जिनके पास पर्याप्त रूप से पानी है और जो वस्तुतः नदियों के अंतर्योजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं और परियोजनाएं उनकी प्रभावी भागीदारी के बिना भी पूरी की जा सकती हैं।

(xii) हालांकि, समिति किसी भी बाद के चरण में किसी भी राज्य को कार्यक्रम को प्रभावी रूप से पूर्ण करने के लिए सम्मिलित कर सकती है।

(xiii) ऐसी परियोजनाएं हैं जहां कि कागजी कार्यवाही बीते 10 वर्षों से चल रही हैं जिसका बोझ सरकारी कोष पर पड़ रहा है इसलिए हम केंद्रीय और राज्य सरकारों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निर्देशित करते हैं और अधिक प्रभावी रूप से इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सभी तरह की वित्तीय, प्रशासनिक व कार्यकारी सहायता प्रदान करने के लिए कहते हैं।

(xiv) यह रिकार्ड से प्रकट होता है कि टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं की गई है। इस तरह से, टास्क फोर्स द्वारा किए गए प्रयासों का संबंधित सरकारों के लिए व्यवहारिक रूप से कोई उपयोग नहीं रहा है, जनता से भी बहुत कम उपयोग रहा है। टास्क फोर्स अब खत्म सा हो गया है। टास्क फोर्स की रिपोर्टों को समिति के सामने रखे जाने की अनुमति दें जो बिना विफल हुए इसमें दिए गए सुझावों पर ध्यान केंद्रित करें और निर्णय करें कि कैसे इन्हें जनता के फायदे के लिए बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जा सकता है।

(xv) इस आदेश के तहत गठित समिति अंतर्गोचर कार्यक्रम को चलाने के लिए जिम्मेदार होगी। इसके फैसले को इस अदालत के आदेश के तहत बनाए गए सभी प्रशासनिक निकायों या अन्यथा पर प्राथमिकता दी जाएगी।

(xvi) इस आदेश में निहित निर्देशों की डिफॉल्ट या गैर-अनुपालन की स्थिति में, हम इस न्यायालय में अवमान याचिका दायर करने के लिए विद्वान एमिकस क्युरी को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं।

65. हम अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल हो जाएंगे यदि हम अन्य सभी वरिष्ठ सलाहकारों, वर्तमान जनहित याचिका में उपस्थित अधिवक्ताओं और विद्वान एमिकस क्युरी द्वारा उचित तरह से दर्ज की गई मूल्यवान और समर्थ सहायता के लिए उनकी सराहना नहीं करते हैं।

66. हम न केवल शीघ्र कार्यान्वयन की एक पवित्र आशा व्यक्त करते हैं, बल्कि इसके द्वारा केन्द्र और राज्य सरकारों को इस फैसले में निहित निर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से और बिना डिफॉल्ट रूप से एक परमादेश जारी करते हैं। यह राष्ट्रीय लाभ और प्रगति का मामला है और हम कोई कारण नहीं देख पाते हैं कि किसी भी राज्य को सफलता के लिए नदियों के अंतर्गोचर कार्यक्रम को लाने के लिए पीछे क्यों रहना चाहिए, इस तरह से सूखे-प्रवण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भूख से बचाने और बाढ़ के प्रकोप वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को विनाश से बचाने के लिए, जो बाढ़ के कारण होते हैं।

67. सुप्रा में दर्ज अवलोकन और निर्देशों के साथ, 2002 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 512, रिट याचिका 2002 की (सिविल) संख्या 668 और इन दोनों रिट याचिकाओं के लिए दायर किए गए सभी आवेदनों में एतद्वारा लागत के बिना आदेश के अंतिम निपटारे के लिए प्रस्तुत है।

..... भारत के मुख्य न्यायाधीश

[एस.एच. कपाड़िया]

..... जे.

[ए.के. पटनायक]

.....जे.

[स्वतंत्र कुमार]

नई दिल्ली,
27 फरवरी, 2012